वन अधिकार समिति

मुहाल टिकरी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि.प्र.) पिन - 176319

प्रधान : सचिव :

मोबाईल : मोबाईल :

क्रमांक ......1...... प्रस्ताव प्रतिलिपि (नकल) दिनांक 07-12-2022

आज दिनांक 29-09-2021 को ग्राम पंचायत टिकरी के अन्तर्गत वन अधिकार समिति टिकरी की उपग्राम सभा का आयोजन अध्यक्ष श्री दलीप सिंह राणा जी की अध्यक्षता में हुआ जिस में उपस्थित 144 रही जो कि वन अधिकार समिति के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज है।

विषय :- ग्राम पंचायत टिकरी के अन्तर्गत मुहालदारों के दावे/आक्षेप के आने सम्बन्धी।

सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि गली से सालवी तक की सड़क निर्माण के अन्तर्गत मुहालदारों जो वन अधिकार नियम 2006 सम्बन्धी लिखित नियमों अनुसार प्रपत्र क व ख पर आमन्त्रित किए गए थे। गांववासियों की तरफ से 90 दिनों के बीत जाने पर भी कोई दावा/आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ था।

अतः इस प्रस्ताव को उपग्राम सभा में इस आशय से पारित किया कि इसकी प्रतिलिपि उपमण्डलीय वन अधिकार समिति चम्बा की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाए।

उक्त प्रस्ताव प्रतिलिपि उपमण्डलाधिकारी (ना०) चम्बा की सेवा में प्रेषित है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव की प्रतिलिपि मुताबिक असली है व लेख की प्रतिलिपि वन अधिकार समिति के लेख में विद्यमान है।

सचिव
वन अधिकार समिति
मुहाल टिकरी, विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

प्रधान
वन अधिकार समिति
मुहाल टिकरी, विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

वन अधिकार समिति

मुहाल टिकरी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि.प्र.) पिन - 176319

प्रधान : सचिव :

मोबाईल : मोबाईल :

क्रमांक ....1.... दिनांक ....

वन ग्राम सभा

आज दिनांक 15-06-2022 को ग्राम पंचायत टिकरी में मुहाल टिकरी में वन अधिकार समिति की बैठक का आयोजन अध्यक्ष श्री दलीप सिंह राणा की अध्यक्षता में किया गया जिस में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे।

क्र० सं०	नाम	पद	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री दलीप सिंह राणा	अध्यक्ष	गाँव जसवड़ई	[signature]
2.	" पूर्ण चन्द	सचिव	" टाटेरू	[signature]
3.	" राजिन्द्र कुमार	सदस्य	" नातोड	[signature]
4.	श्रीमति शान्ति देवी	"	" जसवड़ई	Shanti
5.	" हेम राज	"	" दरकोटी	[signature]
6.	श्रीमती चिन्ता देवी	"	" टिकरी	चिन्ता देवी
7.	" निर्जला देवी	"	" धड़याणु	N Kam
8.	" रत्नी देवी	"	" थतोकरा	Rattni
9.	श्री मनदीप कुमार	"	" टाटेरू	[signature]
10.	" ओम प्रकाश	प्रधान पंचायत	समलोगा	[signature]

प्रस्ताव न० 1. गत कार्यवाही की पुष्टि

आज की बैठक में वन अधिकार समिति के

वन अधिकार समिति

मुहाल टिकरी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि.प्र.) पिन - 176319

प्रधान : सचिव :

मोबाईल : मोबाईल :

क्रमांक ......2......... दिनांक ....

ऊपरलिखित सदस्य उपस्थित रहे। गत कार्यवाही की पुष्टि की गई व सदस्यों को पढ़कर सुनाई गई। समिति के सभी उपस्थित सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव को समर्थन किया।

प्रस्ताव नं॰ 2 :- सड़क निर्माण गत्ती से गंडवाड़, समलोगा व सालवीं तक बनवाने बारे।

आज दिनांक 15-06-2022 को ग्राम पंचायत टिकरी में मुहाल टिकरी की वन अधिकार समिति की बैठक की बैठक 11:00 बजे स्थान टिकरी स्कूल में कमेटी अध्यक्ष श्री दलीप सिंह राणा की अध्यक्षता में की गई। जिसमें मुहाल टिकरी के गाँव दालई, गंडवाड, समलोगा, सालवीं के परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल धूड़गत्ती के क्षेत्र में वन अधिकारों के लिए दावे हेतु उक्त ग्राम सभा को वन अधिकार समिति की बैठक में प्राप्त हुए। गाववासियों ने आवेदनों पर चर्चा की व सदस्यों ने प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों को अध्यक्ष के सम्मुख रखा गया व सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आगामी कार्यवाही हेतु उपमण्डलीय वन अधिकार समिति की सेवा में भेजा गया।

वन अधिकार समिति

मुहाल टिकरी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि.प्र.) पिन - 176319

प्रधान : सचिव :

मोबाईल : मोबाईल :

क्रमांक ....3:.......... दिनांक ....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रतिलिपि प्रस्ताव वन मण्डलाधिकारी तीसा जी की सेवा में भेजी जाती है।

सचिव
वन अधिकार समिति
मुहाल टिकरी, विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा (हि.प्र.)

प्रधान
वन अधिकार समिति
मुहाल टिकरी, विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा (हि.प्र.)

वन अधिकार समिति

मुहाल टिकरी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि.प्र.) पिन - 176319

प्रधान :

मोबाईल :

सचिव :

मोबाईल :

क्रमांक ....1....

दिनांक ....

प्रस्ताव संख्या

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

आज दिनांक 15-06-2022 को ग्राम सभा मुहाल टिकरी की बैठक सुबह 11 बजे स्थान रा० मा० पाठशाला टिकरी में श्री दलीप सिंह राणा की अध्यक्षता में की गई जिसमें मुहाल टिकरी गांव के अनुसूचित जाति व जन-जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत चूड़ी गति जंगल क्षेत्र में जिसमें H.P.W.D. विभाग द्वारा गन्नी धार से सालूई सड़क के निर्माण के लिये 1.881 हैक्टेयर वन भूमि के प्रयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिये आये दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुये गांववासियों के वन अधिकारों के प्रस्तावों के आवेदनों पर चर्चा की गई के साथ अध्ययन तथा उस पर प्रस्तुत दस्तावेजों के ग्राम सभा द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस निम्नलिखित पक्षों का दावा नियमानुसार सही पाया गया

वन अधिकार समिति

मुहाल टिकरी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि.प्र.) पिन - 176319

प्रधान :

मोबाईल :

सचिव :

मोबाईल :

क्रमांक ...2...

दिनांक ....

क्र.सं.	पात्र ग्रामवासियों के नाम	जंगल का नाम
1.		
2.		

तद्नुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुये इस उपखण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
अपितु में निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र.सं.	पात्र ग्रामवासियों के नाम
1.	
2.	

तद्नुसार ग्राम सभा द्वारा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है। या।

इस ग्राम सभा को वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ
प्रधान - - -
मुहाल
ग्रामवासी ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र जंगल में वन अधिकार के लिये आवेदन किया है प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके

वन अधिकार समिति

मुहाल टिकरी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि.प्र.) पिन - 176319

प्रधान :

सचिव :

मोबाईल :

मोबाईल :

क्रमांक ..3..........

दिनांक ....

लिये आवेदन किया है प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

सचिव
वन अधिकार समिति
मुहाल टिकरी, विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

प्रधान
वन अधिकार समिति
मुहाल टिकरी, विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा (हि० प्र०)

705

№ 3119344 2016 **Himachal Government Judicial Paper**

[Gift-Deed]

उप-पंजीकाध्यक्ष पुखरी (हि०प्र०) [हिब्बानामा बहक सरकार HPPWD]

705 दिनांक 11/1/2019

— किया :-

मैं तिलकराज पुत्र कैलाश चंद पुत्र .... गाँव गॅबनाड परगना .... उप-तहसील सलूणी जिला चम्बा (हि०प्र०) का उम्र 45 साल हूँ।

जो कि मुझहर वाक्या मुहाल .... के खाता/खतौनी न0 19/29 रकवा व कदर तादादी 35-1-0 किता 28 के 1/4 भाग रकवा तादादी 8-15-5 का मालिक, काबिज, व काबिज है। नकल जमाबंदी बावत साल 2015-16 शामिल हैं।

चूंकि सरकार हि0प्र0 मैहकमा लोक निर्माण विभाग उप-मण्डल .... को मुहाल .... में, सड़क निर्माण हेतु भूमि मतलूब है। अतःएव मुझहर ने,आजरोज,अपने होश हवाश,व दुरुस्ती अक्ल के, बिना किसी दवाव के,अपनी खुशी से, अपने हिस्सा व रकवा उपरोक्त में से अपना 8/701 भाग रकवा तादादी 0-8-0 बजए रजिस्ट्री हिब्बा नामा के,बहक सरकार हि0प्र0, मैहकमा लोक निर्माण विभाग उप- मण्डल .... को कतेई तौर पर हिब्बा करके कब्जा,व हक हकूक, जो भी मुझे हासिल थे, आज दिन से, महोबल्य उक्त को,दे दिए हैं। अब आज के बाद,रकवा हिब्बा शुध्दा उक्त पर न ही मेरा ,व न ही मेरे, किसी दीगरान हक वार सान का,कोई भी हक ताल्लुक व वास्ता न रहा है। रकवा हिब्बा शुध्दा उक्त इससे पहले हर प्रकार के भार बंधन आदि से पाक व साफ है। अतः अब हिब्बा किया गया। अतः वसीका हिब्बा नामा, हजा रुबरु,साक्षीगण के पढ़., सुन, व समझ कर लिखवा दिया, ताकि प्रमाण रहे। मिति:- 9/1/18

[signature] हस्ताक्षर वाहिब, [signature] व महोबल्य उक्त,

साक्षी (1)	साक्षी (2)
जगतसिंह पुत्र	.... कुमार पुत्र ....
गाँव गॅबनाड	गाँव ....
परगना	परगना ....
उपतहसील सलूणी	उप तहसील सलूणी
जिला चम्बा (हि0प्र0)	जिला चम्बा (हि0प्र0)
पहचान कर्ता:-----	

साक्षी 3

.... कुमार पुत्र .... गाँव .... उप-तहसील सलूणी जिला चम्बा (हि०प्र०)

Kamlesh Kumar Document Writer, Sub Tehsil Bhalei (Salooni) CB. No 113 Date 8/1/18 Signature

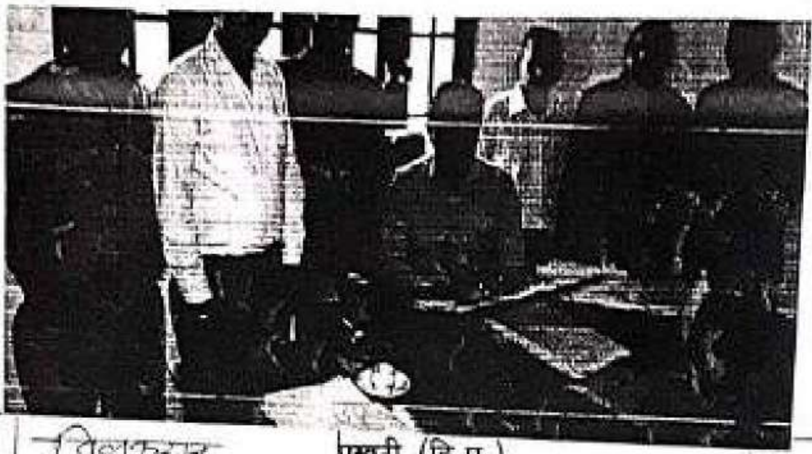

1. तिलकराज — पुखरी (हि.प्र.)

2. HPBND रविन्द्रकुमार

3. साक्षी-1 जर्मसिंह

4. साक्षी-2 सुरेन्द्रकुमार

5. पहचानकर्ता सुभाष चन्द नम्बरदार ... [illegible]

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

N° 1680677 2017 Himachal Government Judicial Paper

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

[illegible] तिलक राधा पुत्र श्री कैलाश चन्द [illegible] गाँव [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पुखरी
[illegible] दामोदर [illegible] पुत्र [illegible] कोठी
[illegible] ग्राम [illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी [illegible]
[illegible] की जानकारी से इस ओहदाधारी रजिस्ट्री [illegible] शिनाख्त है।
[illegible] पर [illegible] शब्द पेश कुनिन्दा को सुनाया व समझा [illegible]
[illegible] व प्रकट कर तहरीर दस्तावेज को सही तस्दीक किया [illegible]
[illegible] से अपनी जगह वसूल कर लिये हुए तसलीम किये है।
[illegible] कोई लेन-देन नहीं हुआ।
अतः [illegible] हिबानामा बाबे रजिस्ट्री स्वीकार किया [illegible]

हस्ताक्षर पेशकुनिन्दा
हस्ताक्षर गवाह
हस्ताक्षर गवाह
हस्ताक्षर शनाख्ती

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

8-10-18 [illegible] 1732-40 बजे दिन सोमवार
हिबानामा [illegible] का दस्तावेज [illegible]
[illegible] तिलक राधा [illegible] कैलाश चन्द निवासी [illegible]
[illegible] पुखरी [illegible] ने हमारे कार्यालय [illegible] पुखरी
में [illegible] पेश किया।

हस्ताक्षर पेशकुनिन्दा

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

[illegible] नं० 2 बही नं० 1
जिल्द नं० 2 पृष्ठ 23 से 25
पर दर्ज किया गया और नम्बर 1 जिल्द 2
के क्रम 23 ता 25 पर आज दिनांक 8-10-18
को स्वीकार होकर दर्ज हुआ

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

Deed No. 33 Dated 8-10-2018

Sub Registrar
Pukhri
Attested

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

Assistant Engineer
Koti Sub Division
HPPWD Koti

174

№ 3119350 2010

Himachal Government Judicial Paper

Gift Deed 710

उप-पंजीकाध्यक्ष पुखरी (हि.प्र.)

हिब्बानामा बहक हि०प्र० सरकार H.P.P.W.D.

किया 29

मैं चंचयान पुत्र रक्षु राम पुत्र मोहनी गाँव गंडुनाड परगना छत्री उप-तहसील पुखरी जिला चम्बा (हि0प्र0) बा उम्र 47 साल हूँ।

जो कि मुझहर वाक्या मुहाल किहरी के खाता/खतौनी न0 31/41 रकवा व कदर तादादी 19-9-0 किता 31 के, 4/7 भाग रकवा तादादी 11-2-5 का मालिक, कामिल, व काबिज है। नकल जमाबंदी बाबत साल 2015-16 भीलफहजा है।

चूंकि सरकार हि0प्र0 मैहकमा लौक निर्माण विभाग उप-मण्डल कोटी को मुहाल किहरी में, सडक निर्माण हेतु भूमि मतलूब है। अतःएव मुझहर ने, आजखेज, अपने होश हवाश, व दुरुस्ती अक्ल के, बिला किसी दवाव के अपनी खुशी से, अपने हिस्सा व रकवा उपरोक्त में से अपना 4/389 भाग रकवा तादादी 0-4-0 बरुए रजिस्ट्री हिब्बा नामा के, बहक सरकार हि0प्र0, मैहकमा लौक निर्माण विभाग उप- मण्डल कोटी को कतेई तौर पर हिब्बा करके कब्जा, व हक हकूक, जो भी मुझे हासिल थे, आज दिन से, महोबल्य उक्त को दे दिए हैं। अब आज के बाद रकवा हिब्बा शुध्दा उक्त पर न ही मेरा, व न ही मेरे, किसी दी-गरान हक वार सान का कोई भी हक ताल्लुक व वास्ता न रहा है। रकवा हिब्बा शुध्दा उक्त इससे पहले हर प्रकार के भार बंधन आदि से पाक व साफ है। अतः अब हिब्बा किया गया। अतः वसीका हिब्बा नामा, हजा रुबरु, साक्षीगण के पढ., सुन, व समझ कर लिखवा दिया, ताकि प्रमाण रहे। मिति: 16/10/18

हस्ताक्षर वाहिब, व महोबल्य उक्त, (H.P.P.W.D.)

साक्षी (1)	साक्षी (2)
कर्मसिंह पुत्र भीखो	अजय कुमार पुत्र श्री कृष्ण राम
गाँव गंडनाड	गाँव गडुनाड
परगना छत्री	परगना छत्री
उप तहसील पुखरी	उप तहसील पुखरी
जिला चम्बा (हि0प्र0)	जिला चम्बा (हि0प्र0)

पहचान कर्ता:—

नोट:- लाईन नं० 19 में कटिंग करके 16 बनाई गई दाम से हुआ

Sub Tehsil Dealer (Rajpura) ... Kumar ... No ... Signature 16/10/18

पुखरी (हि.प्र.)

हंसराज,	
HPPWD.	
साक्षी-1 जगसिंह	
साक्षी-2 अजयकुमार	
पहचानकर्ता	उप-पंजीकाध्यक्ष पुखरी (हि.प्र.)

Nº 1680679 2017 Himachal Government Judicial Paper

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

आज दिनांक 16-10-18 तदनुसार 1939 [illegible] वाला दिन मंगलवार
बरवक्त हिक्वाव्वा/... के दरम्यान दस्तावेज ......
श्री हेम राज ......पुत्र श्री रिखु राम निवासी [illegible]
उप तहसील पुखरी जिला चम्बा ने स्वंय हमारे कार्यालय मुकाम पुखरी
मे हाजिर आकर बाबत रजिस्ट्रेशन पेश किया।

हस्ताक्षर पेशकुनिन्दा

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र)

श्री हेम राज पुत्र श्री रिखु राम [illegible]
की शनाख्त श्री [illegible] [illegible] पुखरी
ने की है [illegible]
व श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] वासी [illegible]
को भी जानता [illegible]
दस्तावेज [illegible] पेश कुनिन्दा को सुनाया व समझाया [illegible]
[illegible] सही [illegible]
[illegible] वसूल [illegible] लिये हुए [illegible]
[illegible] नहीं हुआ।
अतः दस्तावेज हिक्वावा/.. बाबत रजिस्ट्री स्वीकार किया जाता है।

हस्ताक्षर पेशकुनिन्दा
हस्ताक्षर [illegible]
हस्ताक्षर [illegible]
हस्ताक्षर शनाख्ती

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

दस्तावेज न० 2 बही न० 1
जिल्द न० 2 पृष्ठ 43 ता 45
पर दर्ज होकर [illegible] की संख्या 1 जिल्द 2
के सफा 43 ता 45 पर आज दिनांक 16-10-18
को स्वीकार होना पाया हुआ

Deed No. 39 Dated 16-10-18

उप पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

Sub Registrar
Pukhri (H.P.)

Attested

Assistant Engineer
Koti Sub Division
HPPWD Koti

उप-पंजीकाध्यक्ष
पखरी (हि.प्र.)

106

No 3119347 2016 Himachal Government Judicial Paper

[Gift-Deed]

उप-पंजीकाध्यक्ष पुखरी (हि०प्र०)

[हिब्बानामा हक हि० प्र० सरकार]
(हि० प्र० लो० नि० वि०)

मैं दलीप सिंह पुत्र जीतो पुत्र जन्ता गाँव – गडुवाड़ परगना छन्वरी उप-तहसील पुखरी जिला चम्बा (हि०प्र०) का उम्र 60 साल हूँ।

जो कि मुझहर वाक्या मुहाल तिकरी के खाता/खतौनी नं0 15/25 रकवा व कदर तादादी 7-5-0 किता 08 के आम रकवा तादादी नाहिद के मालिक, कामिल, व काबिज है। नकल जमाबंदी बावत साल 2015-16 शीलफहजा है।

चूँकि सरकार हि0प्र0 महकमा लोक निर्माण विभाग उप-मण्डल कोटी को मुहाल तिकरी में, सड़क निर्माण हेतु भूमि मतलूब है। अतः एव मुझहर ने,आजखेज,अपने होश हवाश,व दुरुस्ती अक्ल के, बिना किसी दबाव के अपनी खुशी से, अपने हिस्सा व रकवा उपरोक्त में से अपना 4/145 आम रकवा तादादी 0-4-0 बरुए रजिस्ट्री हिब्बा नामा के,बहक सरकार हि0प्र0, महकमा लोक निर्माण विभाग उप- मण्डल कोटी को कतेई तौर पर हिब्बा करके कब्जा,व हक हकूक, जो भी मुझे हासिल थे, आज दिन से, महोबल्य उक्त को दे दिए हैं। अब आज के बाद रकवा हिब्बा शुध्दा उक्त पर न ही मेरा ,व न ही मेरे, किसी दीगरान हक वार सान का,कोई भी हक ताल्लुक व वास्ता न रहा है। रकवा हिब्बा शुध्दा उक्त इससे पहले हर प्रकार के भार बंधन आदि से पाक व साफ है। अतः अब हिब्बा किया गया । अतः वसीका हिब्बा नामा, हजा रुबरु,साक्षीगण के पढ़, सुन, व समझ कर लिखा वा दिया, ताकि प्रमाण रहे । मिति:- 9/10/18 दलीप (सतिन्द्र कुमार SE HPPWD)

हस्ताक्षर वाहिब, व महोबल्य उक्त,

साक्षी (1) [signature]
जगिसिंह पुत्र जीतो
गाँव गड्डवाड़
परगना छन्वरी
उप तहसील पुखरी
जिला चम्बा (हि0प्र0)
पहचान कर्ता:-----

साक्षी (2) [signature]
संजय कुमार पुत्र निदिया
गाँव चाल्हेड
परगना छन्वरी
उप तहसील पुखरी
जिला चम्बा (हि0प्र0)

साक्षी-3
[signature]
इन्द्र कुमार पुत्र विक्रम
गाँव चाल्हेड परगना
छन्वरी उप तहसील पुखरी
जिला चम्बा

नोट लाईन नं० 4 में कटिंग
मध्य कातिब के अलग दाग
कीट [signature]

[stamp] 9/10/18

पुखरी (हि.प्र.)

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

N°. 1680671 2017 Himachal Government Judicial Paper

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

श्री दलीप सिंह पुत्र श्री ... गांव बाडवाड़
... सुखदेव चन्द ... नम्बरदार पुरवी
... आम सिंह ... गांव
... सुरेन्द्र कुमार ... शिव राम ... बाड़ू
[illegible] जानते हैं। ... हम ... रजिस्ट्री ...
[illegible] का ठीक ... पेश कुनिन्दा को सुनाया व समझाया गया। जिसे
उसने सुन व समझ कर उक्त दस्तावेज को सही तस्लीम किया। और ...
... में मुद्दई से ... वसूल कर लिये हुए तस्लीम किये हैं।
हमारे सामने कोई लेन-देन नहीं हुआ।
अतः बमुताबिक हिब्बानामा बाबत रजिस्ट्री स्वीकार किया जाता है।

हस्ताक्षर पेशकुनिन्दा
हस्ताक्षर गवाह
हस्ताक्षर गवाह
[illegible]

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

आज दिनांक 8-10-18 मुताबिक 1939 ... दिन सोमवार
बवक्त ... हिब्बानामा के दस्तावेज ... श्री दलीप सिंह पुत्र श्री ... गांव बाडवाड़
उप तहसील पुखरी जिला चम्बा ने ... कार्यालय ... पुखरी
में हाजिर आकर ... रजिस्ट्रेशन पेश किया।

हस्ताक्षर पेशकुनिन्दा

उप-पंजीकाध्यक्ष

... 2 ... बही नं० 1
... 2 पृष्ठ 20 ता 22
... जिल्द नम्बर 1 जिल्द 2
के पृष्ठ 20 - 22 पर आज दिनांक 8 - 10 - 13
को रजिस्टर होकर दर्ज हुआ

उप पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

Deed No. 32 Dated 08-10-2013

Sub Regist...
Pukhri (H.P.)

Attested

Assistant Engineer
Koti Sub Division
HPPWD Koti

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

/ 108

No 3119343 2016 **Himachal Government Judicial Paper**

[Gift – Deed]

उप-तहसील पुखरी (हि.प्र.)

[हिब्बानामा बहक हि० प्र० सरकार H.P.P.W.D.]

चिलचेरी

मैं नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल पुत्र श्री लक्ष्मी दास गांव गंडनाड परगना .... उप-तहसील पुखरी जिला चम्बा (हि0प्र0) वा उम्र 55 साल हूँ।

—— जो कि मुझहर वाक्या मुहाल चिकरी के खाता/खतौनी न0 18/28 रकवा व कदर तादादी 36-4-0 (B.B.B.) किता 37 के 7/12 भाग, रकवा तादादी 21-2-0 (B.B.B.) का मालिक, कामिल, व काबिज है। नकल जमाबंदी बावत साल 2015-16 शामिल है।

—— चूंकि सरकार हि0प्र0 मैहकमा लोक निर्माण विभाग, उप-मण्डल कोटी को मुहाल चिकरी में, सड़क निर्माण हेतु भूमि मतलूब है। अतःएव मुझहर ने आजरेज, अपने होश हवाश, व दुरुस्ती अक्ल के, बिना किसी दबाव के अपनी खुशी से, अपने हिस्सा व रकवा उपरोक्त में से अपना 1/181 भाग रकवा तादादी 0-4-0 (B.B.B.) बरुए रजिस्ट्री हिब्बा नामा के, बहक सरकार हि0प्र0, मैहकमा लोक निर्माण विभाग उप- मण्डल कोटी को कतेई तौर पर हिब्बा करके, कब्जा, व हक हकूक, जो भी मुझे हासिल थे, आज दिन से, महोबल्य उक्त को दे दिए हैं। अब आज के बाद, रकवा हिब्बा शुद्धा उक्त पर न ही मेरा, व न ही मेरे, किसी दीगरान हक वार सान का, कोई भी हक ताल्लुक व वास्ता न रहा है। रकवा हिब्बा शुद्धा उक्त इससे पहले हर प्रकार के भार बंधन आदि से पाक व साफ है। अतः अब हिब्बा किया गया। अतः वसीका हिब्बा नामा, हजा रुबरु, साक्षीगण के पढ़, सुन, व समझ कर लिखा दिया, ताकि प्रमाण रहे। मिति 27/10/18

मुकाम: पुखरी — हस्ताक्षर वाहिब, [signature]

व महोबल्य उक्त, [signature] (अधिशासी अभियंता HPPWD)

साक्षी (1) [signature]
नरेन्द्र सिंह पुत्र भीखो
गांव गंडनाड
परगना: ......
उप तहसील पुखरी
जिला चम्बा (हि0प्र0)

साक्षी (2) [signature]
.... कुमार पुत्र शिवराम
गांव पुखरी
परगना ......
उप तहसील पुखरी
जिला चम्बा (हि0प्र0)

पहचान कर्ता:-----
[signature]
ग्राम पंचायत पुखरी
जिला चम्बा (हि०प्र०)

Kamlesh Kumar ...
No. 1272
Date 27/10/18
Signature
Sub Tehsil Pukhri

गवाह

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

1) नगेन्द्र कौशल पुत्र श्री [illegible] पुत्र [illegible] गांव [illegible]

8 H.P.P.W.D.

साक्षी-1
नरसिंह

साक्षी 2
पंकजकुमार

पहचानकर्ता
प्रवीनकुमार
उपप्रधान
ग्रा.पं. [illegible]

उप-पंजीका[illegible]
पुखरी (हि.प्र.)

Nº 1680675 Himachal Government Judicial Paper

उप-पंजीकर्ता
पुखरी (हि.प्र.)

27

आज दिनांक 29-10-13 अनुमान 17.57 बजे शाम दिन मंगलवार

मरहका हिमाचल प्रदेश के दफ्तर में यह दस्तावेज ... ...

श्री नरेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री ..... अनुराम ..... निवासी गड्वाड़

उप पंजीयक पुखरी [illegible] के पास पेश कर रहे [illegible] पुखरी

[illegible] और मेरे [illegible]

[illegible] दुलैया

उप पंजीयक

पुखरी (हि.प्र.)

श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री ..... अनुराम ..... निवासी गड्वाड़

[illegible] प्रवीण कुमार [illegible] प्रधान पुखरी

[illegible] नरेन्द्र सिंह [illegible] [illegible]

पवन कुमार [illegible] शिवराम [illegible] पुखरी

[illegible]

[illegible] हिमाचल प्रदेश [illegible] स्वीकार किया जाता है।

उप पंजीयक

पुखरी (हि.प्र.)

रजिस्टर न० 2   बही न० 1

जिल्द न० 2   पृष्ठ 73   से 75

पर दर्ज होकर जाइन्ट बही नम्बर 1   जिल्द 2

के सफा 73 ता 75 पर आज दिनांक 29-10-13

को स्वीकार होकर दर्ज हुआ

उप पंजीयक

पुखरी (हि.प्र.)

Deed No. 46 Dated 29-10-13

Sub Registrar

Pukhri (H.P.)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त ने

अपने-अपने हस्ताक्षर व अंगूठे हमारे

समक्ष लगाये है।

उप पंजीयक

पुखरी (हि.प्र.)

Attested

Assistant Engineer

Koti Sub Division

HPPWD Koti

नं० 3113349 2016 **Himachal Government Judicial Paper**

[Gift Deed]

[हिब्बानामा बहक सरकार H.P.P.W.D.]

किस्त:-2

उप-पंजीकार्यालय पुखरी (हि.प्र.)

मैं मनोहर कुमार पुत्र श्री चन्दू पुत्र माघो गाँव नरवडुंई परगना उप-तहसील पुखरी जिला चम्बा (हि0प्र0) का उम्र 39 साल हूँ।

जो कि मुझहर वाकया मुहाल तिकरी के खाता/खतौनी न0 126/158 रकबा कदर तादादी 1-3-0 बीघा किता 04 के 1/35 भाग रकबा तादादी 0-5-4 बीघा का मालिक, काबिज व दाखिल है। नकल जमाबंदी बाबत साल 2015-16 शामिल है।

चूंकि सरकार हि0प्र0 मैहकमा लोक निर्माण विभाग उप-मण्डल कोटी को मुहाल तिकरी में सड़क निर्माण हेतु भूमि मतलूब है। अतःएव मुझहर ने आजकेज, अपने होश हवास, व दुरुस्ती अक्ल के, बिला किसी दबाव के अपनी खुशी से, अपने हिस्सा व रकबा उपरोक्त में से अपना 1/183 भाग रकबा तादादी 0-1-0 बीघा बजरिए रजिस्ट्री हिब्बा नामा के, बहक सरकार हि0प्र0, मैहकमा लोक निर्माण विभाग उप-मण्डल कोटी को कतई तौर पर हिब्बा करके कब्जा, व हक हकूक, जो भी मुझे हासिल थे, आज दिन से महोबल्य उक्त को दे दिए हैं। अब आज के बाद रकबा हिब्बा शुदा उक्त पर न ही मेरा व न ही मेरे, किसी दीगरान हक वार सान का, कोई भी हक ताल्लुक व वास्ता न रहा है। रकबा हिब्बा शुदा उक्त इससे पहले हर प्रकार के भार बंधन आदि से पाक व साफ है। अत उक्त हिब्बा किया गया। अतः वसीका हिब्बा नामा, हजा रूबरू साक्षीगण के पढ़, सुन, व समझ कर लिखवा दिया, ताकि प्रमाण रहे। मिति:- 15/10/18

मुकाम:- पुखरी

Manohar Kumar
हस्ताक्षर वाहिब,

(Signature)
(अतिरिक्त)
व महोबल्य उक्त,

साक्षी (1) (Signature)
जर्मसिंह पुत्र भोलो
गाँव त्रिकरी
परगना चुराह
उपतहसील पुखरी
जिला चम्बा (हि0प्र0)
पहचान कर्ता:-----

(Signature)

साक्षी (2) (Signature)
मानसिंह पुत्र टान्दो
गाँव दाडौई
परगना चुराह
उपतहसील पुखरी
जिला चम्बा (हि0प्र0)

(Signature) 15/10/18

(Stamp: ... Kumar Dogra ... Signature ... Tehsil Bhalei (Chamba))

1) मनोहर कुमार

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

2) HPPWD

3) साक्षी
जर्मसिंह

4) साक्षी
मानसिंह

5) पहलवान[illegible]

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

Nº 3118353 2016 Himachal Government Judicial Paper

उप-पंजीकाराधिकारी
पधारी (हि.प्र.)

श्री मनोहर कुमार सपुत्र श्री टकडु निवासी जनवड़ई
ने हमारे सामने [illegible] सपुत्र [illegible] नम्बरदार पुरखी
[illegible] कि साक्षी जगत सिंह सपुत्र [illegible] मोहा
[illegible] मेहर सिंह सपुत्र श्री [illegible] निवासी थाड़ई
को भी जानते हैं। जानकारी से हम औजिदार रजिस्ट्री स्वयं [illegible]
दस्तावेज का प्रत्येक शब्द पेश कुनिन्दा को सुनाया व समझाया गया। जिसे
उसने सुन व समझ कर तहरीर दस्तावेज को सही तसलीम किया। [illegible]
[illegible] में खुशी से अपनी रकम वसूल कर लिये हुए तसलीम किये है।
हमारे सामने कोई लेन-देन नहीं हुआ।
अतः दस्तावेज हिब्बानामा बाबत रजिस्ट्री स्वीकार किया जाता है।

हस्ताक्षर पेशकुनिन्दा Manohar Kumar
हस्ताक्षर गवाह [illegible]
हस्ताक्षर गवाह [illegible]
हस्ताक्षर शनाख्ती [illegible]

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

आज दिनांक 15-10-18 मुताबिक 1935-40 शाका दिन सोमवार
बवक्त हिब्बानामा के उपरान्त यह दस्तावेज ... ...
श्री मनोहर कुमार सपुत्र श्री टकडु निवासी जनवड़ई
उप [illegible] पुखरी जिला चम्बा ने स्वयं हमारे कार्यालय [illegible] पुखरी
में हाजिर आकर वास्ते रजिस्ट्रेशन पेश किया।

हस्ताक्षर पेशकुनिन्दा

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

वसीका नं० 2 बही नं० 1
जिल्द नं० 2 पृष्ठ 37 से 39
पर दर्ज किया [illegible] न्यायालय 1 जिल्द 2
के पृष्ठ 37 तक [illegible] पर आज दिनांक 15-10-18
को स्वीकार किया गया [illegible]

उप पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

Deed No. 37 Dated 15-10-18

Sub Registrar
Pukhri [illegible]

Attested

Assistant Engineer
Koti Sub Division
HPPWD Koti

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

Nº 1623716 2017 **Himachal Government Judicial Paper**

[Gift-Deed] 711

उप-पंजीकाध्यक्ष पुखरी (हि.प्र.)

हिब्बानामा बहक हि०प्र० सरकार [HPPWD]
किता :- 2

इन्दo 711 हिब्बा [illegible] 1/2019

मैं इन्द्र सिंह पुत्र किशनु पुत्र कुन्डु गांव-
बाड़ी, परगना धुन्धी, उप-तहसील [illegible]-
जिला चम्बा [हि०प्र०] का, उम्र 42 साल हूँ।

जो कि अराजी वाक्या मुहाल निकयी के-
खाता/खतौनी नम्बर 69/70 रकबा तादादी-
25-11-14 किता 35 के 4757/40736 भाग, रकबा तादादी-
3-11-17 का मालिक काबिज व काबिज हूँ, नकल-
जमाबन्दी बाबत साल 2015-16 मोरतबा है।

क्योंकि सरकार हि०प्र०, मैहकमा लोक निर्माण
विभाग उपमण्डल कोटी को, मुहाल निकयी में-
सड़क निर्माण हेतु भूमि मतलूब है अतः स्वा-
मुखत्यार ने बाजरिया अपने होश-हवास, बदरुस्ती
अक्ल के बिना किसी दबाव के अपनी रजामंदी-
व खुशी से अपने हिस्सा व रकबा उपरोक्त
में से अपना 20/5117 भाग रकबा तादादी-
0-3-0 बजरिए रजिस्ट्री हिब्बानामा के बहक-
सरकार हि०प्र० मैहकमा लोक निर्माण विभाग-
उपमण्डल कोटी को हमेशा तौर पर हिब्बा-
करके, कब्जा व हक-हकूक जो भी मुझे-
हासिल थे आज दिन के मौके उक्त को-
दे दिए हैं। अब आज के बाद, रकबा हिब्बा-
शुदा उक्त पर न ही मेरा न ही मेरे-
किसी दीगरान हक-वारसान का, कोई भी-
हक ताल्लुक व वास्ता न रहा है रकबा-
हिब्बाशुदा उक्त हर तरह से, हर प्रकार के
भार, बंधन, आदि से पाक व साफ है।

क्रमशः-

No 1

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

इन्द्र सिंह,	इन्द्र सिंह
2 HPDWD	
साक्षी व जगसिंह	
4 साक्षी मानसिंह	
पवनानन्दजी	उप-पंजीकाध्यक्ष पुखरी (हि.प्र.)

Nº 1623717 2017 **Himachal Government Judicial Paper**

अतः आज लिखा किया गया।

अतः वसीयत लिखानामा हमा कनरह-गवाहान के पढ़, सुन, व समझकर लिखना-दिया ताकि प्रमाण रहे।

मिति 5/10/18 (1) [illegible] सिंह (2) [illegible]

हस्ताक्षर साहिल [illegible]

[illegible]
पुखरी

साक्षी 1

अमीसिंह पुत्र भीखो
गाँव गैलहाद
परगना पुखरी
उप-तहसील पुखरी
जिला चम्बा (हि.प्र.)
[illegible]

साक्षी 2

मानसिंह पुत्र [illegible]
गाँव [illegible]
परगना पुखरी
उप-तहसील पुखरी
जिला चम्बा (हि.प्र.)

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

इन्द्र सिंह ... बिशनु ... दार्ड ...
[illegible] सुखसिंह नम्बरदार पुखरी
[illegible] [illegible] सिंह [illegible] कोठी
[illegible] मान सिंह, पुत्र श्री [illegible], निवासी दार्ड
[illegible] है। जिनकी से हम औपचार रजिस्ट्री [illegible]
[illegible] पेश कुनिन्दा को सुनाया व समझाया [illegible]
[illegible] कर [illegible] दस्तावेज को सही तस्दीक किया, [illegible]
[illegible] अपनी रकम वसूल कर लिये हुए बर्यान किये है।
[illegible] लेन-देन नहीं हुआ।
[illegible] दस्तावेज हिब्बानामा बाबे रजिस्ट्री स्वीकार किया जाता है।

हस्ताक्षर पेशकुनिन्दा इन्द्र सिंह
हस्ताक्षर गवाह [illegible]
[illegible]
[illegible]

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

आज दिनांक 15-10-08, तदानुसार [illegible] बरोज दिन सोमवार
बरवक्त हिब्बानामा... के दरम्यान यह दस्तावेज ... ...
श्री इन्द्र सिंह.....पुत्र श्री बिशनु... निवासी दार्ड
उप तहसील पुखरी जिला चम्बा ने स्वयं हमारे कार्यालय मुकाम पुखरी
में हाजिर आकर बाबे रजिस्ट्रेशन पेश किया।

हस्ताक्षर पेशकुनिन्दा

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

बहीखाता नं० 2 बही नं० 1
जिल्द नं० 2 पृष्ठ 40 से 42
पर दर्ज होकर नक़ल की गई। जिल्द 2
के पृष्ठ 40 से 42 पर आज दिनांक 15-10-08
को स्वीकार होकर दर्ज हुआ

उप पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

Deed No. 38 Dated 15-10-20[illegible]

Sub Registrar
Pukhri (H.P)

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

Attested

Assistant Engineer
Koti Sub Division
HPPWD Koti

[Gift-Deed] 7 से फिर

[हिब्बानामा ... हिo अज सरकार H.P.W.D.]

No. 1680661 Himachal Government Judicial Paper

हम (1) टेकचन्द पुत्र दवेला पुत्र मन्ना साहिल नं०-1, (2) दुनीचंद पुत्र दवेला पुत्र मन्ना साहिल नं०-2, (3) ओमप्रकाश पुत्र रचालू पुत्र मन्ना साहिल नं०-3, (4) नवदेव राम पुत्र रघु पुत्र मन्ना साहिल नं०-4, गाँव गडनाड़, परगना छुंथी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) साकिन क्रमशः 57, 58, 58, 61, — साला हैं।

जोकि मुहाल विकरी (274) खाता/खतौनी नम्बर 13/19 ता 23 किता 11, रकबा तादादी $\overset{B.\ B.\ B.}{32-13-02}$ के, साहिबान नम्बर 1 व 2, 1/45 भाग, समान भाग, रकबा तादादी $\overset{B.\ B.\ B.}{0-14-10}$, व साहिल नम्बर 03 2/25 भाग, रकबा तादादी $\overset{B.\ B.\ B.}{02-12-04}$ व साहिल नम्बर 04, 1/18 भाग, रकबा तादादी $\overset{B.\ B.\ B.}{01-16-05}$ के मालिक काबिज, व काबिज हैं। नकल जमाबंदी बाबत साल 2015-016 भी संलग्न है।

चूँकि सरकार हि०प्र० मैं लोक निर्माण विभाग, उपमण्डल कोटी को, मुहाल टिकरी में सड़क निर्माण हेतु भूमि मतलूब है। अतः हम मुस्तदयान ने, बाजरिये अपने होश-हवास, व उदसी अकल के बिना किसी दबाव के, अपनी रजामंदी व खुशी से अपने खाता इजा मुतक में से अपने हिस्सा व रकबा मुतक में से अपना साहिबान नम्बर 01 टेकचन्द ने, अपना $\frac{40}{6531}$ भाग, रकबा तादादी $\overset{B.\ B.\ B.}{0-4-0}$, साहिल नम्बर 02 दुनीचंद ने, अपना $\frac{20}{6531}$ भाग रकबा तादादी $\overset{B.\ B.\ B.}{0-2-0}$, साहिल नम्बर 03 ओमप्रकाश ने, $\frac{10}{2177}$ भाग रकबा तादादी $\overset{B.\ B.\ B.}{0-3-0}$, व साहिल नम्बर 04 नवदेव राम ने, $\frac{20}{2177}$ भाग, रकबा तादादी $\overset{B.\ B.\ B.}{0-6-0}$, कुल तादादी $\overset{B.\ B.\ B.}{0-15-0}$, नम्बर

P.T.O.

उप-पंजीकाध्यक्ष पुखरी (हि.प्र.)

7 से फिर 31/7/2015

पधर (हि.प्र.)

1. हेमचन्द — हेमचन्द

2. दुनीचंद — दुनीचन्द

3. ओमप्रकाश — ओमप्रकाश

4. बलदेव राम — Baldev

5. HPPMD. रविन्द्र कुमार

उप-पंजीकाध्यक्ष
पधर (हि.प्र.)

[illegible]

साक्षी 1
जगसिंह

साक्षी 2
संजयकुमार

पहचानकर्ता
सुखानन्द
नम्बरदार
P.C. [illegible]

साक्षी
सुरेशकुमार

[illegible] न० 2 [illegible] 1
[illegible] न० 2 [illegible] 17 [illegible] 17
[illegible] 1 [illegible] 2
[illegible] 17 – 18 [illegible] 8 - 10 - 17
[illegible]

उप पंजीकरणाधिकारी
पुखरी (हि.प्र.)

Deed No. 31 Dated 8 - 10 - 2017

Sub Registrar
Pukhri (H.P.)

उप-पंजीकरणाधिकारी
पुखरी (हि.प्र.)

Nº 1680662 2017 **Himachal Government Judicial Paper**

रजिस्ट्री हिब्बानामा के नहक सरकार
हि० प्र० मेहकमा लोक निर्माण विभाग,
उपमण्डल कोटी को, कब्जा बीटनार हिब्बा
करके, कब्जा व हक-हकूक सोंप भी दिये,
दाखिल है, आज दिन से, दे दिए हैं। अब आज
के बाद रकबा हिब्बाशुदा उक्त पर न ही
हमारा न ही हमारे किसी दीगरान हक-
वारसान का, कोई भी हक-ताल्लुक व
वास्ता न रहा है। रकबा हिब्बाशुदा उक्त
इससे पहले, हर प्रकार के भार बंधन
आदि से पाक व साफ है। अतः अब हिब्बा
किया गया।

अतः हिब्बानामा, रूबरू गवाहान के, पढ़ सुन व समझकर लिखवा दिया, ताकि प्रमाण रहे।

मिति: 9/10/18
(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible]
हस्ताक्षर वाहिबान उक्त,

(रविन्द्र कुमार मैहटा) HPPWD
हस्ताक्षर मोहिबलहू उक्त,

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

साक्षी-1
जगसिंह पुत्र भीलो
गाँव [illegible]
परगना [illegible]
उपतहसील [illegible]
जिला चम्बा
(हि०प्र०)

साक्षी-2
संजय कुमार पुत्र [illegible]
गाँव [illegible]
परगना [illegible]
उपतहसील [illegible]
जिला चम्बा
(हि०प्र०)

पहचानकर्ता: साक्षी-2 [illegible] पुत्र रिखुराम
गाँव [illegible] उप तहसील [illegible]

नोट: [illegible]

Attested.
Assistant Engineer
Koti Sub Division
HPPWD Koti

हिब्बानामा नाम हिमाचल सरकार (HPPWD)
क्रिया :- 2

2016 Himachal Government Judicial Paper

3119352

उप-पंजीकाधिकारी पुखरी (हि.प्र.)

ह० 724 हिब्बा 11/1/2019

मैं मानसिंह पुत्र बच्चो, पुत्र सागर जाति राजपूत, निवासी ग्राम बलाई, परगना ... उप-तहसील ... तहसील ... जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश ... वर्ष हूँ। जो कि उक्त ... खाता/खतौनी नम्बर 78/88 ता 87 खसरा नम्बरान तादादी 36-02-00 बी. बी. बी. किता 12 से 17770/55871 भाग, रकबा तादादी 0-3-7 बी. बी. बी. का मालिक, काबिज व काबिज है। नकल जमाबन्दी बाबत साल 2015-16 भी साथ लफ्फ है।

चूँकि सरकार हि.प्र. मैं महकमा लोक निर्माण विभाग, उप-मण्डल कोटी को पुखरी ... सड़क निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है। अतः मैं उक्त ने आज दिन, बगैर किसी दबाव के, बिना किसी लोभ-लालच व ... अपनी नाराजगी व खुशी से, अपने ईमान के अपनी खुशी से अपना हिस्सा व रकबा उपरोक्त में से अपना हिस्सा व रकबा तादादी 0-3-0 बी. बी. बी. नम्बर 3/722 भाग, रकबा तादादी ... हिब्बानामा के तौर पर सरकार हिमाचल प्रदेश महकमा लोक निर्माण विभाग उप-मण्डल कोटी को बतौर हिब्बा कर दिया है और कब्जा व हक-हकूक, जो भी उक्त हासिल थे, आज दिन से मतामला उक्त को दे दिए हैं। अब आज के बाद रकबा हिब्बाशुदा उक्त पर न तो मेरा, न मेरे किसी वारिसान व कानूनी वारिसान का कोई भी हक-ताल्लुक न वास्ता न रहा है। रकबा हिब्बाशुदा उक्त सब पहले हर प्रकार के भार-बंधन आदि से पाक व साफ है। अतः अब हिब्बानामा

= क्रमशः

1 मानसिंह	पुखरी (हि.प्र.)
2 HPPWD	
3 साक्षी 1 जर्मसिंह	
4 साक्षी 2 इन्द्रसिंह	
5 पहचानकर्ता	उप-पंजीकरण पुखरी (हि.प्र.)

Nº 1680655 2 0 1 Himachal Government Judicial Paper

अतः वसीका हिब्बानामा, हजा बकलम गवाहान के मद सुन, व समझकर लिखवा दिया, ताकि प्रमाण रहे।

मिति 15/10/18

कलम हुकुम [illegible]

हस्ताक्षर वासिन व मौकल उक्त,

साक्षी 1 — नरसिंह पुत्र [illegible] गाँव [illegible] नडगाना, कुफरी उप तहसील कुफरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)

साक्षी 2 — इन्द्र सिंह पुत्र [illegible] गाँव [illegible] नडगाना कुफरी उप तहसील कुफरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)

पहचानकर्ता:

श्री मान सिंह पुत्र श्री ... [illegible] ... निवासी [illegible]
[illegible] ... पुत्र श्री ... [illegible]
ने श्री [illegible] जग सिंह पुत्र श्री ... [illegible]
व श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ... निवासी ... [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
हमारे [illegible] लेन-देन नहीं हुआ।
अतः दस्तावेज [illegible] की रजिस्ट्री स्वीकार किया जाता है।

हस्ताक्षर पेशकुनिन्दा

हस्ताक्षर गवाह

हस्ताक्षर गवाह

हस्ताक्षर [illegible]

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

आज दिनांक 15-10-13 मुताबिक 1935-10 वार दिन सोमवार
वक्त [illegible] के दरम्यान यह दस्तावेज ....
श्री मान सिंह ..... पुत्र श्री [illegible] ... निवासी [illegible]
उप तहसील पुखरी जिला चम्बा ने स्वयं हमारे कार्यालय मुकाम पुखरी
मे हाजिर आकर बाबे रजिस्ट्रेशन पेश किया।

हस्ताक्षर पेशकुनिन्दा

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

रसीद न० 2 बही न० 1
जिल्द न० 2 पृष्ठ 34 ता 36
पर दर्ज होकर जाइज बही नम्बर 1 जिल्द 2
के पृष्ठ 34 ता 36 पर आज दिनांक 15-10-13
को रजिस्टर होकर दर्ज हुआ

उप पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

Deed No. 36 Dated 15-10-13

Sub Registrar
Pukhri [illegible]

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

Attested
Assistant Engineer
Koti Sub Division
HPPWD Koti

[अनुलग्नक] (0)

[हिब्बानामा पत्र, हि०प्र० सरकार H.P.P.W.D.]
किता-2

№ 1680673 Himachal Government Judicial Paper

उप-पंजीकार तहसील भुबरी (हि.प्र.)

हम प्यार सिंह उर्फ चमारू राम (73) रामल (61) ओमप्रकाश (51) पुत्र भीखो पुत्र गन्धा (वाहिबान नम्बर 01, 02, 03) तथा अजयकुमार पुत्र किरपाराम पुत्र भीखो (वाहिब नं० 04) निवासी मौजा गंवनाड़, परगना चुंडी, उप तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि०प्र०) के मूल निवासी हैं।

जोकि वाक्या मुहाल टिकरी (274) खाता/खतौनी नम्बर 17/27 किता 1, रकबा तादादी 65-05-00 (B. B. B) के वाहिबान नम्बर 1 ता 3 7/16 भाग, समान भाग, रकबा तादादी 29-10-18 (B. B. B) व वाहिब नम्बर 04, 1/48 भाग, रकबा तादादी 01-07-03 (B. B. B) का मालिक काबिज, व काबिज है। नकल जमाबंदी बाबत साल 2015-016 भी लफबस्ता है।

चूँकि सरकार हि०प्र० महकमा लोक निर्माण विभाग, उप मण्डल तीसा को, मुहाल टिकरी में, सड़क निर्माण हेतु भूमि मतलूब है। अतः हम मुकिरान ने आज रोज अपने होश-हवास, व बदरजा बिला किसी दबाव के, अपनी रजामंदी व खुशी से, अपने खाताजात के अपने हिस्सा व रकबा उक्त में से, वाहिबान नं० 1, प्यार सिंह उर्फ चमारू राम ने अपना 1/435 भाग, रकबा तादादी 0-3-0 (B. B. B) वाहिब नम्बर 2 रामल ने, अपना 1/435 भाग, रकबा तादादी 0-3-0 (B B B) वाहिब 3 ओमप्रकाश ने अपना 2/1305 भाग, रकबा तादादी 0-2-0 (B. B. B) व वाहिब नम्बर 04 अजयकुमार ने अपना 2/1305 भाग, रकबा तादादी 0-2-0 (B. B. B), कुल रकबा तादादी 0-10-0 (B. B. B), बजरिए रजिस्ट्री हिब्बानामा के हक सरकार हि०प्र० लो०नि०-

हि०न० 707 हिब्बा 11/1/2019

45

1) आपदिंह उर्फ नमारदराम — पुखरी (हि.प्र.)

2) रामनन्द

3) ओमप्रकाश

4) अजयकुमार

5) HPPWD. रविन्द्रकुमार

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

№ 1680674 2017 **Himachal Government Judicial Paper**

मैं हकमा लोक निर्माण विभाग, उपमंडल
कोठी को, कयेई तौर पर हिब्बा करके,
कब्जा व हक-हकूक जो भी हमें हासिल
थे, आज दिन से, दे दिए हैं। अब आज-
के बाद रकबा हिब्बामुद्दा उक्त पर-
न ही हमारा, न न हमारे किसी-दीगर
हक-वारसान का, कोई भी हक-ताल्लुक
व वास्ता न रहा है। रकबा हिब्बामुद्दा
उक्त, इससे पहले, हर प्रकार के भार-
बंधन आदि से पाक व साफ है। अत:-
अब हिब्बा किया गया।

अत: हिब्बानामा, हजा खनरत-
गवाहान के पढ़ सुन, व समझकर-
लिखवा दिया, ताकि प्रमाण रहे।

मिति:- 8/1/018

हस्ताक्षर वाहिब उक्त,

(रविन्द्र कुमार मैहरा PWD)

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

हस्ताक्षर मौहबलय उक्त,

साक्षी-1	साक्षी-2
जगसिंह पुत्र भीखो	चंद्रकुमार पुत्र निधिया
गाँव गवाड़	गाँव चलेई
परगना पुखरी	परगना पुखरी
उप तहसील पुखरी	उप तहसील पुखरी
जिला चम्बा	जिला चम्बा
(हि.प्र.)	(हि.प्र.)

मजमून कुनिन्दा:-

नम्बरदार
पटवार सर्कल पुखरी
तह० व० जिला चम्बा [हि०प्र०]

Kamlesh Kumar Document Writer
No. 1150
Dated 8/01/18
Sub Tehsil Pukhri (Chamba) H.P.

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

1. संजय कुमार

2. जर्म सिंह

3. पहचान कर्ता
सुभाष चन्द
नम्बरदार
निवासी
कुरवारी

बही नं० 1
जिल्द नं० 2 पृष्ठ 26 ता 28
पर क्रम संख्या 1 जिल्द 2
के पृष्ठ 26 ता 28 पर आज दिनांक 8-10-18
को रजिस्टर्ड किया गया।

उप पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)

Deed No. 34 Dated 8-10-18

Sub Registrar
Pukhri (H.P.)

Attested

Assistant Engineer
Koti Sub Division
HPPWD Koti

उप-पंजीकाध्यक्ष
पुखरी (हि.प्र.)